

03/1/20

पत्रावली वाले आदेश। प्रार्थना-
पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा पेश
हुई। आधेवक्ता उभयपक्ष की
बहल एवं पत्रावली भय
दस्तावेजों के जहन अध्ययन
कर आयालय यह पाता है।
प्रार्थी वादगृह भूमि का
विक्टॉर्ड स्वतंत्र नहीं है और
ना ही ऐसा कोई लाइस्य या
दस्तावेज पेश किये हैं-यूँकि
अप्रार्थी संख्या 01 विक्टॉर्ड
स्वतंत्र है। अतः प्रथमदृष्ट्या-

सहायक जज
जयपुर श. प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/9/25	<p>मामला व सुविधा का संतुलन पार्थी के पक्ष में नहीं होकर अपार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र अध्याई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजठ काश्तकारी अधिनियम पौषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लीखा जाकर शाामील मिशाल किया जावे। निर्णय आज दिनांक 03/9/2025 को सैर इजलास हुआ गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तार हो</p>	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम